

CA



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मंडल ग्वालियर, केम्प सागर ^{of 30/}

देवीदीन तनय मधवा प्रजापति I निगरानी छतरपुर/भू.स/2018/0907
निवासी ग्राम खडडी तह. गौरिहार
जिला छतरपुरनिगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. म.प्र.शासन
2. नजीरा तनय रजवा वेहना
निवासी ग्राम खडडी तह. गौरिहार
जिला छतरपुर

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् राजस्व निरीक्षक तह. गौरिहार जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 25/11/17 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

1. यह कि, प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक क्र 2 द्वारा भूमि खसरा क्र 3413, 3416, 3414 क्रमशः रकवा 0.400, 0.570, 0.410 हे स्थित ग्राम खडडी के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि विपरीत तरीके से कार्यवाही कर विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है जिससे परिवेदित होकर निगरानीकर्ता की यह निगरानी सशक्त आधारों पर श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधि के प्रावधानों व प्रकरण में निहित परिस्थितियों का विपरीत तरीके से उपयोग करते हुए विधि विपरीत आदेश पारित किया है जो कि कानूनन स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय को इस बात को मानना चाहिए था कि निगरानीकर्ता सरहदी कृषक है तथा प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निगरानीकर्ता को ना तो प्रकरण में पक्षकार बनाया गया

श्री निरीक्षक ग्वालियर, केम्प सागर
जिला ग्वालियर

5 JAN 2018

29/17

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2018 / 0907

देवीदीन विरुद्ध म.प्र. शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
07-03-2019	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. यह निगरानी राजस्व निरीक्षक तहसील गौरिहार, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 15/अ-12/2017-18 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 25-11-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरुद्ध आपत्ति सुनवाई अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है। उभय पक्ष दिनांक 06-05-2019 को अनुविभागीय अधिकारी के यहां उपस्थित हो। अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये।	<p>(आर.के. जैन) 07/3/19 सदस्य</p>